न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी:– गौरव कुमार मित्तल (आर0ए0एस0)

मु0न0	ता0रजू.	निर्णय दिनांक
168/2023	15.12.2023	31/10/2025

1. खेमराज पुत्र किशनलाल उम्र 62 वर्ष
2. हरिराम पुत्र किशनलाल उम्र 55 वर्ष

समस्त जातियान मीना निवासीयान खिलचीपुर तहसील सवाई माधोपुर

कार्यालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर सत्यमेव जयते

वादीगण

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, सवाई माधोपुर।
2. छीतर पुत्र गोविंदा जाति मीना निवासी खिलचीपुर तहसील सवाई माधोपुर (मृतक)।
3. सीताराम पुत्र किशनलाल उम्र 68 वर्ष
4. मीठालाल पुत्र रामकरण उम्र 40 वर्ष
5. हरकेश पुत्र रामकरण उम्र 35 वर्ष
6. धोली पुत्री रामकरण उम्र 33 वर्ष

   समस्त जातियान मीना निवासीयान खिलचीपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर
7. सम्पत पुत्री रामकरण पत्नी प्रहलाद जाति मीना निवासी खिलचीपुर तहसील स0मा0 हाल निवासी इटावा की झौपडी पोस्ट बलरिया तहसील चौथ का बरवाडा।
8. अनिता पुत्री रामकरण पत्नी मुकेश जाति मीना निवासी खिलचीपुर तहसील स0मा0 हाल निवासी मालकरनिया पो0 सोनवा तह0 व जिला टोंक, राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकार घोषणा एवं दुरूस्ती इंद्राज अंतर्गत धारा 88, 92–ए राजस्थान काश्तकारी एक्ट

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2026.01.09 17:00:32 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित:–

1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा एड0 वादी की ओर से।
2. श्री प्रदीप टटवाल एड0 प्रतिवादीगण की ओर से।

:– निर्णय –:

उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

वादीगण ने जरिये वकील एक दावा बाबत इस्तकार घोषणा एवं दुरूस्ती इंद्राज अंतर्गत धारा 88, 92–ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि वादीगण राजस्व ग्राम खिलचीपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर के मूल निवासी होने के साथ–साथ कास्तकार पेशा व्यक्ति हैं। वादीगणों के पिता स्व० किशनलाल पुत्र गेन्दया जाति मीना निवासी खिलचीपुर ने अपने जीवनकाल में दिनांक 25.07.61 को प्रतिवादी संख्या 2 छीतर पुत्र गोविन्दा जाति मीना निवासी खिलचीपुर से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर साविक खसरा नम्बर 433 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा खरीद किया था, विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। विकय पत्र में हस्तलेखक डीड राईटर देवीनारायण जी की गलती के कारण खसरा नं0 433 के स्थान पर 533 लिख दिया जिसकी गलती के कारण आज तक राजस्व रिकॉर्ड में विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज नही हो सका। राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2014 से सम्वत् 2017 के खाता संख्या 59 के कॉलम नं0 5 में खातेदार गोविन्दा वल्द वल्देवा मीना सा०देह कृषक ख0नं0 433 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी दोयम दर्ज थी। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न हैं । राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2026 से सम्वत् 2029 के खाता संख्या 190 में खातेदार छीतर पुत्र गोविन्दा सा०देह के नाम से खसरा नं0 433 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा दर्ज था, एवं नामान्तकरण संख्या 107 के आधार पर विरासत का नामान्तकरण दर्ज हुआ था । जमाबन्दी में नोट दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2038 से 2041 के खाता सं0 176 में छीतर वल्द गोविन्दा मीना के नाम से दर्ज है। वरवक्त विक्रय पत्र के समय छीतर की उम्र 22 वर्ष की थी । तत्कालीन डीड राईटर देवीनारायण साहित्य रत्न द्वारा तहरीर किये विकय विलेख में दिनांक 25.07.61 को छीतर के पिता का नाम गोविन्दा होते हुए भी श्योचन्दा दर्ज कर दिया एवं ख0नं0 433 के स्थान पर 533 दर्ज कर दिया, जबकि साविक राजस्व अभिलेख के अनुसार खसरा नं0 433 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा एवं खसरा नं0 533 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा खातेदार रखा वल्द ग्यारस्या कोम खाती के नाम से दर्ज थी। प्रतिवादी संख्या 2 मृतक छीतर पुत्र गोविन्दा की सन् 1990 में भू प्रबन्ध प्रकिया से पूर्व ही मृत्यु हो गई इसलिये भू प्रबन्ध विभाग ने साविक खसरा नं0 433 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का नवीन खसरा नं0 1083 रकबा 0.53 है0 मृतक छीतर पुत्र गोविन्दा मीना के नाम से दर्ज किया गया। साविक खसरा नं0 533 रकबा एक बीघा 5 बिस्वा का नवीन खसरा नं0 1631 रकबा 0.32 है० दर्ज किया गया है। हाल खसरा नं0 1631 रकबा 0.32 है० हाल राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2076 के खाता संख्या 496 के राजस्व रिकॉर्ड में बिरदीचन्द, सूरजमल पुत्र माधोलाल जाति महाजन के नाम से दर्ज है। वादीगणों ने विक्रय पत्र दिनांक 25.07.61 के आधार पर दिनांक 20.09.23 को तहसीलदार सवाई माधोपुर को नामान्तकरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार सवाई माधोपुर ने न्यायालय से नामान्तकरण दर्ज करवाने का आदेश लाने के लिये निर्देशित करने पर वादीगणों की ओर से न्यायालय हाजा की शरण लेकर घोषणा हेतु राजस्व दावा प्रस्तुत करना लाजमी हो गया हैं । प्रतिवादी सं0 3 का विवादित भूमि पर कब्जा नही होने के कारण प्रतिवादी सं0 3 नेग हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया एवं प्रतिवादी सं0 4, 5, 6 मृतक रामकरण के वारिसान होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। विवादित कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। विवादित कृषि भूमि साविक खसरा नं0 433, 533, के हाल नवीन खसरा नं0 1083, 1631 के राजस्व अभिलेख के अनुसार मौके की तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट भी तहसीलदार स०मा० से तलब की जावेगी, इसलिये तहसीलदार, स०मा० लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया जा रहा हैं। वाके ग्राम खिलचीपुर तहसील, स०मा० में स्थित साविक खसरा नं0 433, 533 के हाल नवीन खसरा नं0 1083, 1631 के राजस्व अभिलेख के अनुसार मौके की तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर वाद पत्र वादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावें । घोषणा इस्तकरार हक इस अमर का फरमाया जावें कि वाके ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाई माधोपुर में स्थित साविक खसरा नं0 433 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा जिसके हाल नवीन खसरा नं० 1083 रकबा 0.53 है0 पर वादीगणों का विक्रय पत्र दिनांक 25.07.61 से लेकर आज तक भौतिक कब्जा होने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2026.01.09 17:00:32 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर सत्यमेव जयते

उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

वादीगणों को खातेदार कास्तकार घोषित किया जावें । विक्रय पत्र दिनांक 25.07.61 में डीडराईटर की गलती के कारण खसरा नं0 433 के बजाय खसरा नं0 533 दर्ज होने की त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर वादीगणों के नाम से इन्द्राज किया जावें । अन्य दादरसी जो भी मुफीद हो न्यायहित में वादीगणों को दिलाई जावें ।

- वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये नोटिस तबली की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित होकर राजिनामा प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया है कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है । वादी एंव प्रतिवादीगणों के पूर्वज अर्थात वादीगणों के पिता ने अपने जीवन काल मे दिनांक 25.7.61 को वाके ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाई माधोपुर मे स्थित साबिक कृषि भूमी ख0नं0 433 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा कृषि भूमी रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर खरीद की गई थी । साबिक ख0नं0 433 पर विक्रय पत्र की दिनांक से लेकर आज तक भौतिक कब्जा चला आ रहा है । मृतक छीतर पुत्र गोविन्दा ने हमारे पिता को भौतिक कब्जा साबिक ख0नं0 433 पर भौतिक कब्जा संभलाया था । डीडराईटर की गलती से विक्रय पत्र मे ख0नं0 533 दर्ज कर दिया गया जबकि ख0नं0 433 का रकबा 2 बीघा 2 विस्वा दर्ज है एव ख.न. 533 का रकवा एक बीघा 5 विस्वा साबिक जमाबन्दी मे दर्ज है। साबिक ख0नं0 433 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा के हाल नवीन मीना ख0नं 1083 रकबा 0.53 है0 पर वादीगणो का ही भौतिक कब्जा चला आ रहा है । मुताबिक राजीनामा इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए वादीगणो को खातेदार घोषित किया जाता है तो हम प्रतिवादीगणो को किसी तरह की आपत्ति नही है । अतः श्रीमानजी की सेवामे प्रार्थना पत्र राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर किया गया राजीनामा स्वीकार फरमाया जाकर विक्रय पत्र मे दर्ज खसरा नम्बर की हो रही त्रुटि को दुरूस्त करते हुए वादीगणो को खातेदार घोषित किया जावे। हम प्रतिवादीगणो को कोई आपत्ति नही है ।
- प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 ने जरिये वकील उपस्थित होकर वादीगण के वाद पत्र के समर्थन में इकबालिया जवाब पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाई माधोपुर में स्थित कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 433 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा तत्कालीन खातेदार छीतर पुत्र गोविन्दा जाति मीना निवासी खिलचीपुर से दिनांक 25.07.61 को हमारे बाबा किशनलाल ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खरीद की गई थी। तभी से वादीगणों का भौतिक कब्जा चला आ रहा है। विक्रय पत्र में दर्ज खसरा नं० दुरूस्त किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे बाबा ने अपने जीवनकाल में कृषि भूमि का बंटवारा कर दिया था। उक्त कृषि भूमि खसरा नं0 433 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के हाल नवीन खसरा नं0 1083 रकबा 0.53 है0 पर हमारे बाबा के जीवनकाल के समय से वादी खेमराज, हरिराम पुत्र किशनलाल का भौतिक कब्जा चला आ रहा है। हमारे नाम से पैत्रक कृषि भूमि में नामान्तकरण संख्या 2135 दिनांक 25.07.24 को विरासत दर्ज हुई थी । वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तो हम प्रतिवादीगणों को किसी तरह

कार्यालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2026.01.09 17:06:32 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

की आपत्ति नही है। इसलिये वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र हम प्रतिवादीगणों की ओर से स्वीकार है। अतः श्रीमान् जी करी सेवामें प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र जवाब दावे के समर्थन बाबत प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार करते हुए वादीगणों के पक्ष में डिकी किया जाता है तो हम प्रतिवादीगणों को किसी तरह की कोई आपत्ति नही हैं।

- प्रकरण में मौका/कब्जा व वर्तमान राजस्व रिकार्ड के सम्बन्ध में तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि वादीगण खेमराज वगै0 के पिता किशनलाल पुत्र गेंदया के द्वारा दिनांक 25.07.1961 को छीतर पुत्र गोविंदा से साबिक खसरा नंबर 433 रकबा 2 बीद्या 2 बिस्वा का कय करना मुताबिक वाद पत्र अंकन किया गया है। किंतु हस्तलेखन डीडराईटर द्वारा खसरा नंबर 433 के स्थान पर खसरा नंबर 533 लिख देने व छीतर पुत्र गोविंदा के स्थान पर छीतर पुत्र श्योचंदा लिख देने के कारण वादीगण उक्त विकय पत्र का नामा0 नही खुल पाया है। संलग्न जमाबंदी सम्वत 2014–17 के खाता संख्या 59 में खसरा नंबर 433 रकबा 2 बीद्या 2 बिस्वा गोविंदा पुत्र बलदेवा के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सम्वत 2026–29 में नामा0 संख्या 107 से गोविंदा पुत्र बलदेवा के स्थान पर छीतर पुत्र गोविंदा दर्ज हुआ था। वादीगण के पिता स्व0 किशनलाल के द्वारा विकय पत्र करवाते समय खसरा नंबर 433 रकबा 2 बीद्या 2 बिस्वा भूमि छीतर पुत्र गोविंदा के नाम दर्ज रिकार्ड थी। रजिस्ट्री में दर्ज खसरा नंबर 533 का रकबा 1 बीद्या 5 बिस्वा है जबकि रजिस्ट्री में खसरा नंबर का रकबा 2 बीद्या 2 बिस्वा लिखा हुआ है। संलग्न जमाबंदी सम्वत 2018–21 में खसरा नंबर 533 रखा पुत्र गयारस्या के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जबकि वादीगण के पिता के द्वारा छीतर पुत्र गोविंदा से कय करना वादपत्र में अंकन किया है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नंबर 433 का नया खसरा नंबर 1083 व साबिक खसरा नंबर 533 का नया खसरा नंबर 3631 बने है। मुताबिक वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2076–79 स्थायी के खाता संख्या 224 में खसरा नंबर 1083 रकबा 0.53 है0 भूमि छीतर पुत्र गोविंदा के नाम व खसरा नंबर 3631 रकबा 0.32 है0 भूमि बिरदीचंद सूरजमल पि0 माधोलाल हि0ब0 जाति महाजन के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मौका ग्रामवासियान के अनुसार मौके पर खसरा नंबर 433 के नवीन खसरा नंबर 1083 रकबा 0.53 है0 पर वादीगण खेमराज हरिराम वगै[illegible]ा काश्त है। विकय पत्र में दर्ज केता व विकेता वर्तमान [illegible] की रिपोर्ट के संबंध में पृथक से फर्द मौका संल[illegible] है।
- प्रकरण में वकील वादीगण की बहस सूनी। वकील वादीगण ने [illegible]ने वाद पत्र के अनुसार बहस करते हुऐ बताया है कि वादीगणों के पिता स्व० किशनलाल पुत्र गेन्दया जाति मीना निवासी खिलचीपुर ने अपने जीवनकाल में दिनांक 25.07.61 को प्रतिवादी संख्या 2 छीतर पुत्र गोविन्दा जाति मीना निवासी खिलचीपुर से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर साविक खसरा नम्बर 433 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा खरीद किया था।

कार्यालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2026.01.09 17:00:32 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विक्रय पत्र में हस्तलेखक डीड राईटर देवीनारायण जी की गलती के कारण खसरा नं0 433 के स्थान पर 533 लिख दिया जिसकी गलती के कारण आज तक राजस्व रिकॉर्ड में विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज नही हो सका। वरवक्त विक्रय पत्र के समय छीतर की उम्र 22 वर्ष की थी । तत्कालीन डीड राईटर देवीनारायण साहित्य रत्न द्वारा तहरीर किये विक्रय विलेख में दिनांक 25.07.61 को छीतर के पिता का नाम गोविन्दा होते हुए भी श्योचन्दा दर्ज कर दिया एवं ख0नं0 433 के स्थान पर 533 दर्ज कर दिया. जबकि साविक राजस्व अभिलेख के अनुसार खसरा नं0 433 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा एवं खसरा नं0 533 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा खातेदार रखा वल्द ग्यारस्या कोम खाती के नाम से दर्ज थी। प्रतिवादी संख्या 2 मृतक छीतर पुत्र गोविन्दा की सन् 1990 में भू प्रबन्ध प्रकिया से पूर्व ही मृत्यु हो गई इसलिये भू प्रबन्ध विभाग ने साविक खसरा नं0 433 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का नवीन खसरा नं0 1083 रकबा 0.53 है0 मृतक छीतर पुत्र गोविन्दा मीना के नाम से दर्ज किया गया। साविक खसरा नं0 533 रकबा एक बीघा 5 बिस्वा का नवीन खसरा नं0 1631 रकबा 0.32 है० दर्ज किया गया है। हाल खसरा नं0 1631 रकबा 0.32 है० हाल राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2076 के खाता संख्या 496 के राजस्व रिकॉर्ड में बिरदीचन्द, सूरजमल पुत्र माधोलाल जाति महाजन के नाम से दर्ज है। वादीगणों ने विक्रय पत्र दिनांक 25.07.61 के आधार पर दिनांक 20.09.23 को तहसीलदार सवाई माधोपुर को नामान्तकरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार सवाई माधोपुर ने न्यायालय से नामान्तकरण दर्ज करवाने का आदेश लाने के लिये निर्देशित करने पर वादीगणों की ओर से न्यायालय हाजा की शरण लेकर घोषणा हेतु राजस्व दावा प्रस्तुत करना लाजमी हो गया हैं। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर विक्रय पत्र दिनांक 25.07.61 में डीडराईटर की गलती के कारण खसरा नं0 433 के बजाय खसरा नं0 533 दर्ज होने की त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर वादीगणों के नाम से इन्द्राज किया जावें।

- वकील प्रतिवादीगण ने अपने राजीनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस की तथा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
- प्रकरण में उभयपक्ष की बहस का मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीगण ने उक्त वाद पत्र विक्रय पत्र दिनांक 25.07.61 में डीडराईटर की गलती के कारण खसरा नं0 433 के बजाय खसरा नं0 533 [illegible] की त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर वादीगणों के नाम से इन्द्राज करने हेतु पेश किया [illegible] तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसील[illegible] के आधार खसरा नंबर 433 के खातेदार छीतर पुत्र गोविंदा ने वादीगण के पि[illegible] को जरिये रजि0 विकय पत्र दिनांक 25.07.1961 को विकय किया गया था। किंतु डीडराईटर की गलती से 433 के स्थान खसरा नंबर 533 लिख देने एवं छीतर पुत्र गोविंदा के स्थान पर छीतर पुत्र श्योचंदा लिख देने के कारण उक्त विकय पत्र का नामांतकरण नहीं खोला गया। तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में उक्त साबिक खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2026.01.09 17:00:32 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

नंबर 433 जिसके नवीन खसरा नंबर 1083 रकबा 0.53 है0 राजस्व ग्राम खिलचीपुर पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है। छीतर पुत्र गोविंदा फौत हो चुका है तथा मृतक के कोई जीवित वारिसान नहीं होना बताया गया है। प्रतिवादीगण किशनलाल के ही वारिसान है। जिनके द्वारा इस न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश करना एवं इकबालिया जबाब पेश किया तथा उक्त खसरा नंबर की खातेदारी वादीगण के नाम लगाने का निवेदन किया गया। चूंकि पत्रावली में उपलब्ध रजि0 विकय पत्र का अवलोकरन करने पर साबिक खसरा नंबर 433 का रकबा 2 बीद्या 2 बिस्वा ही अंकित किया है जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त विकय पत्र में सहवन से गलती हुई है। जिसको शुद्व किया जाना न्यायहित में है। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

:— कियात्मक आदेश —:

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम खिलचीपुर के खाता संख्या 224 में अंकित खसरा नम्बर 1083 रकबा 0.53 है0 में दर्ज खातेदार छीतर पुत्र गोविन्दा का नाम हजफ किया जाकर उक्त खसरा नंबर पर वादीगण (खेमराज पुत्र किशनलाल एवं हरिराम पुत्र किशनलाल जाति मीना निवासीयान खिलचीपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर) को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं बहन करे। तद्नानुसार डिकी जारी की जावें। निर्णय आज दिनांक. 31/10/2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम की ज़ाकर दफ्तर दाखिला हो।

(गौरव कुमार मित्तल)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2026.01.09 17:00:32 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय <u>उप जिला कलेक्टर</u> स्थान <u>सवाई माधोपुर</u>

1. खेमराज पुत्र किशनलाल उम्र 62 वर्ष
2. हरिराम पुत्र किशनलाल उम्र 55 वर्ष
समस्त जातियान मीना निवासीयान खिलचीपुर तहसील सवाई माधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, सवाई माधोपुर।
2. छीतर पुत्र गोविंदा जाति मीना निवासी खिलचीपुर तहसील सवाई माधोपुर (मृतक)।
3. सीताराम पुत्र किशनलाल उम्र 68 वर्ष
4. मीठालाल पुत्र रामकरण उम्र 40 वर्ष
5. हरकेश पुत्र रामकरण उम्र 35 वर्ष
6. घोली पुत्री रामकरण उम्र 33 वर्ष
समस्त जातियान मीना निवासीयान खिलचीपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर
7. सम्पत पुत्री रामकरण पत्नी प्रहलाद जाति मीना निवासी खिलचीपुर तहसील स0मा0 हाल निवासी इटावा की झौपडी पोस्ट बलरिया तहसील चौथ का बरवाडा।
8. अनिता पुत्री रामकरण पत्नी मुकेश जाति मीना निवासी खिलचीपुर तहसील स0मा0 हाल निवासी मालकरनिया पो0 सोनवा तह0 व जिला टोंक, राजस्थान

नम्बर मुकदमा 168 सन् 2023

<u>दावा बाबत इस्तकार घोषणा एवं दुरूस्ती इंद्राज अंतर्गत धारा 88, 92—ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>

वादी की और से श्री जगदीश प्रसाद शर्मा एड0 और प्रतिवादीगण की और से श्री प्रदीप कुमार टटवाल की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 31/10/2025 को श्री गौरव कुमार मित्तल (आर.ए.एस) के समक्ष निपटारें के लिए पेश होने पर आदेश किया गया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। <u>राजस्व ग्राम खिलचीपुर के खाता संख्या 224 में अंकित खसरा नम्बर 1083 रकबा 0.53 हैक0 में दर्ज खातेदार छीतर पुत्र गोविन्दा का नाम हजफ किया जाकर उक्त खसरा नंबर पर वादीगण (खेमराज पुत्र किशनलाल एवं हरिराम पुत्र किशनलाल जाति मीना निवासीयान खिलचीपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर) को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं बहन करे।</u>

इस बाद के खर्चे लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 31/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

कार्यालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
सत्यमेव जयते

(गौरव कुमार मित्तल)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2026.01.09 17:00:32 IST
Reason: SelfAttested

वाद के खर्चे

वादी		रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसे
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	04.00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	05	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	0.00	
3	प्रदेशाके लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	0.00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	0.00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	0.00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	0.00	
7	आदेशिका की तामील	03	00			
जोड		09.00	00	जोड	04.00	